कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वनमण्डल रायसेन (म0प्र0)

जिला एवं न्यायालय के सामने सांची रोड रायसेन (म.प्र.)

E-mail - dfot.rsn@mp.gov.in (Phone & Fax No. 07482 - 222027)

क्रमांक/माचि/1140 रायसेन, दिनांक 17/07/2019

प्रति,

SCO Reliance Jio Infocomm Ltd.
D.B. City, M.P. Nagar Bhopal

विषय :— उदयपुरा—गैरतगंज एवं घाटपिपलिया—नकतरा मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाईवर केवल लाईन बिछाने हेतु वन भूमि के उपयोग की अनुमति बावत्।

सन्दर्भ :— मुख्य वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल का पत्र क्रमांक/माचि/4135 दिनांक 08.07.2019

—— 00 ——

विषयांकित प्रकरण के संबंध में लेख है कि आप द्वारा रायसेन वन मण्डल के अंतर्गत उदयपुरा—गैरतगंज एवं घाटपिपलिया—नकतरा मार्ग के किनारे 0.8138 हेक्टेयर वन भूमि मे "राईट ऑफ वे" के अंतर्गत भूमिगत ओ.एफ.सी. केबल लाईन डालने की अनुमति के संबंध मे प्रस्ताव ऑनलाईन forestsclearance की बेबसाईट के माध्यम से प्रकरण क्रमांक/FP/MP/OFC/37980/2018 से पंजीबद्ध किया गया है उपरोक्त प्रस्तावित ओ.एफ.सी. केबल लाईन बिछाने हेतु रायसेन वन मण्डल के परिक्षेत्रो का निम्नानुसार वन क्षेत्र प्रभावित होगा।

परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	प्रस्तावित ओ.एफ.सी लाईन की लम्बाई (मीटर मे)	प्रस्तावित ओ.एफ.सी लाईन की चौड़ाई (मीटर मे)	कुल क्षेत्र (हेक्टयर मे)
देवरी	RF-183	1322.00	0.50	0.0661
	RF-184	92.80	0.50	0.0046
पश्चिम सिलवानी	RF-125	2259.00	0.50	0.1129
	RF-124	702.00	0.50	0.0351
	RF-123	2996.00	0.50	0.1498
गढ़ी	RF-98	2066.00	0.50	0.1033
	RF-115	269.30	0.50	0.0134
	RF-100	2233.00	0.50	0.1116
	RF-103	3275.00	0.50	0.1637
	PF-111	914.00	0.50	0.0457
पूर्व रायसेन	RF-380	150.00	0.50	0.0075
		16279.10	0.50	0.8138

ओ.एफ.सी. केबल लाईन बिछाने मे रायसेन वन मण्डल का कुल 0.8138 हेक्टेयर वनक्षेत्र प्रभावित होना है। मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाईवर केबल लाईन बिछाने हेतु वन भूमि उपयोग पर देने के संबंध मे म0प्र0 वन विभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ/5/18/2002/10—3 दिनांक 18.11.2004 एवं आदेश क्रमांक/एफ/5/18/2002/10—3 दिनांक 14.12.2005 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कक्ष (भू—प्रबंध) म0प्र0 भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ—11/2015/2637 दिनांक 28.10.2015 एवं पत्र क्रमांक/एफ—11/2017/10—11/2586 दिनांक 01.09.2017 मे निहित प्रावधान एवं प्राप्त दिशा निर्देश तथा मुख्य वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल का पत्र क्रमांक/माचि/4135 दिनांक 08.07.2019 से दिये गये निर्देशानुसार एवं प्रस्ताव का अनुमोदन उपरान्त निम्नलिखित शर्तो के अधीन राईट ऑफ वे के अंतर्गत ऑप्टिकल फाईवर केबल लाईन बिछाने हेतु वन भूमि उपयोग की प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

शर्त क्रमांक—1

वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा।

शर्त क्रमांक—2

उक्त कार्य केवल उपलब्ध मार्ग के किनारे "राईट ऑफ वे" के तहत किया जावेगा। "राईट ऑफ वे" से तात्पर्य मार्ग के किनारे—किनारे मार्ग सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र से है।

शर्त क्रमांक—3

यद्यपि प्रस्तावित लाईन में वृक्ष नहीं आ रहे हैं फिर भी खन्ती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुंचाई जायेगी तथा खन्ती में आने वाले वृक्षों की जड़ो को नहीं काटा जावेगा।

शर्त क्रमांक—4

प्रस्ताव अनुसार ओ.एफ.सी केबल लाईन डालने हेतु खन्ती का आकार 2 मीटर गहरा एवं 0.50 मीटर चौड़ा से अधिक नहीं होगा।

शर्त कमांक–5

वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जावेगा।

शर्त कमांक–6

समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी/पत्थर की आवश्यक हो तो वनक्षेत्र मे उत्खनन नहीं किया जावेगा, जिसकी पूर्ति अन्य स्थानों से की जावेगी।

शर्त कमांक–7

यदि आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वनभूमि को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है तो वन मण्डलाधिकारी रायसेन द्वारा निर्धारित राशि आवेदक संस्थान से देय होगी तथा भविष्य में भारत सरकार, राज्य शासन, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू0प्र0) म0प्र0 भोपाल, मुख्य वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल एवं वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल रायसेन द्वारा अगर कोई शर्त अधिरोपित की जाती है तो वह सभी शर्ते आवेदक संस्थान को मान्य होगीं।

शर्त कमांक–8

पर्यावरण एवं वन्यप्राणियों के रहवास/आवास को कोई क्षति नहीं पहुचाई जायेगी तथा वन एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचती है तो आवेदक विभाग उसकी भरपाई करेगा।

शर्त कमांक–9

कार्य पर लगाये गये मजदूरों द्वारा जलाऊ लकड़ियों का उपयोग नहीं किया जावेगा।

शर्त कमांक–10

ओ.एफ.सी केवल लाईन डालने का कार्य सूर्य उदय से पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात नहीं किया जावेगा तथा वनक्षेत्र मे कोई श्रमिक केम्प नहीं लगाया जायेगा।

शर्त कमांक–11

वनक्षेत्र स्थित किसी भी प्रकार की वनोपज का परिवहन नहीं किया जावेगा।

शर्त कमांक–12

आवेदक संस्थान उदयपुरा–गैरतगंज एवं घांटपिपलिया तक मार्ग के किनारे राईट ऑफ वे के अंतर्गत मात्र उसी स्थान पर खन्ती खोदकर ओ.एफ.सी केवल लाईन बिछायेगा जिसका कि परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व रायसेन, गढ़ी, पश्चिम सिलवानी एवं देवरी तथा उप वनमण्डलाधिकारी रायसेन/सिलवानी ने संयुक्त स्थल निरीक्षण के दौरान क्षेत्र चिन्हित किया गया था।

शर्त कमांक–13

यदि भविष्य में भारत सरकार अथवा राज्य शासन अथवा वन विभाग द्वारा नेट–प्रेजेन्ट वैल्यू की शर्त अधिरोपित की जाती है तो आवेदक संस्थान उक्त शर्त को मानने के लिए वचनबद्व रहेगा।

शर्त कमांक–14

प्रकरण के संबंध मे उपरोक्त स्वीकृति आप द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव अनुसार वनक्षेत्रों के अंतर्गत ही प्रदान की गई है यदि प्रकरण मे राजस्व विभाग के अधीन राजस्व वनक्षेत्र (छोटे बड़े झाड़ का जंगल) मे खुदाई की जाती है तो विधि अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

शर्त कमांक–15

म0प्र0 शासन वन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन के आदेश कमांक/एफ–5–14/2005/10–3 दिनांक 30.07.2012 मे निहित प्रावधानानुसार प्रकरण के संबंध मे पंजीयन शुल्क 5000/– एवं प्रोसेसिंग शुल्क 25000/– कुल राशि 30000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट आवेदक विभाग द्वारा राज्य के राजस्व मद मे ऑनलाईन जमा कराया गया है जिसका यूटीआर कमांक MPT04061903201900016 दिनांक 19.03.2019 है। वन भूमि व्यपवर्तन के भूमिगत ऑप्टिकल फाईवर केबल लाईन के प्रकरणों को म0प्र0 शासन वन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के आदेश कमांक/एफ–5/16/2000/10–3 दिनांक 12.09.2008 द्वारा प्रकरण को एन.पी.व्ही. की राशि से छूट प्रदान की गई है किन्तु आवेदक विभाग को नोडल अधिकारी के समक्ष 100/– रूपये की राशि ऑन लाईन बेबसाईट पोर्टल पर कैम्पा खाता के अन्य मद मे ई–पोर्टल के माध्यम से जमा करानी होगी।

शर्त कमांक–16

राशि जमा होने के उपरान्त आवेदक विभाग शर्तो का पालन प्रतिवेदन बेबसाईट पोर्टल पर अपलोड कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगें।

उपरोक्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन मय वचन पत्र के प्रस्तुत करने एवं नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाईन OK रिपोर्ट प्राप्त होने पर द्वितीय चरण की औपचारिक स्वीकृति प्रदान की जावेगी।

वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल रायसेन

पृ0क्रमांक / माचि /
प्रतिलिपि :—

रायसेन, दिनांक /07/2019

1 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

2 मुख्य वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल की ओर उनके संदर्भित पत्र क्रमांक / माचि / 4135 दिनांक 08.07.2019 के संबंध मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3 उप वन मण्डलाधिकारी रायसेन / सिलवानी एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व रायसेन, गढ़ी, पश्चिम सिलवानी एवं देवरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। प्रकरण मे द्वितीय चरण की औपचारिक स्वीकृति के पूर्व वनक्षेत्र मे आवेदक विभाग को कोई भी कार्य न करने दिया जावे।

हस्ता०
वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल रायसेन